प्रकरण संख्या 22/2014 भगु बनाम प्रभुलाल

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.01.2019	वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण में हमारे द्वारा समायत शुदा बहस पर मनन किया गया व पत्रावली के रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09.05.2013 को प्रारम्भिक डिक्री पारित की है, जिसके विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 09.07.2014 को पेश की है। दफा 5 के आवेदन व शपथ पत्र के आधार पर मयाद कण्डोन की जाकर श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है। अपीलान्ट ने प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अपीलान्ट की नानी का नाम श्रीमती झूमा पत्नी केवल जी पटेल होकर दिनांक 21.05.1995 को 76 वर्ष की उम्र में उसका निधन हो गया। श्रीमती झूमा के एक पुत्री धूली पत्नी मोगजी हुई, जिसका देहान्त दिनांक 13.03.2011 को हो चुका है। झूमा के पास जो भी चल अचल सम्पत्ति थी उसकी एक मात्र वारिस होने के नाते उसे मिली एवं हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार उनके अपने दोहित्र को गोद रखा और वह उसकी तमाम चल अचल सम्पत्ति का उत्तराधिकारी बना। इस संबंध में उसके द्वारा दिनांक 01.06.1989 में विधिवत पंजीकृत गोदनामा निष्पादित करवाया गया। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का झूमा से कोई सम्बन्ध नहीं है, फिर भी उसने रंजिश रखते हुए सरपंच व उपसरपंच पर दवाब डालकर दिनांक 15.01.1991 को एक फर्जी वसीयत तैयार करवा कर उसके आधार पर अपना नाम सहखातेदारी में अंकित करवा लिया। अधिनस्थ न्यायालय में उनके द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, जिस पर तनकियात भी कायम की गयी, किन्तु अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं दिया गया। वसीयत पेश करने पर उसे साक्ष्य अधिनियम के अनुसार प्रमाणित करवाया जाना आवश्यक है। अधिनस्थ न्यायालय ने वसीयत को प्रभावी मानते हुए त्रुटि पूर्ण निर्णय पारित किया है।	

प्रकरण संख्या 22/2014 भगु बनाम प्रभुलाल

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवार निर्णय पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी व प्रतिवादी (अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट) दोनों सहखातेदार होना सुस्पष्ट है तथा पंजीकृत वसीयत दिनांक 15.07.1991 (18.07.1991) उपलब्ध है, जिससे झूमा द्वारा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पक्ष में विवादित आराजियात की वसीयत की जाना सुस्पष्ट है। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में अपने बयान दिये गये हैं, किन्तु उसके द्वारा पंजीकृत गोदनामा प्रस्तुत नहीं किया गया है। हालांकि पंजीकृत गोदनामा वसीयत से पूर्व का है तथा गोदनामे से वह झूमा का उत्तराधिकारी हो सकता है, परन्तु झूमा का उत्तराधिकार अपीलान्ट होने की प्रथम दृष्टया कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, तद्नुसार पंजीकृत वसीयत को संदिग्ध नहीं माना जा सकता। भूमियां पूर्वजों के समय की होकर संयुक्त हिन्दू परिवार की हो, ऐसी भी कोई साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर उपलब्ध नहीं है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित करते हुए जो प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी है, उसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 09.05.2013 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 16.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

प्रकरण संख्या 22/2014 भगु बनाम प्रभुलाल

प्रकरण संख्या 22/2014 भगु बनाम प्रभुलाल